[2021] 4 एस. सी. आर. 153

एम/एस। पीएलआर परियोजनाएं पी. वी. टी. लिमिटेड।

वी.

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। & ओआरएस।

(2019 की स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 2419)

20 अप्रैल, 2021

[एस. ए. बोबडे, सीजेआई, संजय किशन कौल और

सूर्या कान्ट, जे. जे.]

न्यायपालिका-उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति-उच्च न्यायालयों में रिक्तियां-उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन में कुछ समयसीमा बताई गई थी, जिसे उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने अतिरिक्त समयसीमा का पालन करते हुए समय पर नियुक्ति की सुविधा के लिए 10.03.2017 पर अंतिम रूप दिया था।

सलाह दी गई-खुफिया ब्यूरो (आईबी) उच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश की तारीख से 4 से 6 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट/इनपुट प्रस्तुत करेगा-केंद्र सरकार तब फाइल (ओं)/सिफारिशों को प्राप्त होने की तारीख से 8 से 12 सप्ताह के भीतर सर्वोच्च न्यायालय को भेजेगी।

राज्य सरकार के विचार और आईबी की रिपोर्ट/इनपुट-इसके बाद सरकार उपरोक्त विचार पर तुरंत नियुक्ति करने के लिए आगे बढ़ेगी।

उपयुक्तता या लोक हित में सरकार की आपत्तियाँ

उसी अवधि में इसे उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम को आरक्षण के विशिष्ट कारणों के साथ वापस भेजा जा सकता है-यदि

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम उपरोक्त सूचनाओं पर विचार करने के बाद भी सर्वसम्मति से सिफारिशों को दोहराता है। 24. 1), ऐसी नियुक्ति की प्रक्रिया की जानी चाहिए और नियुक्ति होनी चाहिए

3 से 4 सप्ताह के भीतर बनाया गया।

तीसरे न्यायाधीश का मामला (1998) 7 एससीसी (विशेष संदर्भ)

1 1998 का)-संदर्भित

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः स्थानांतरण याचिका (सिविल)

2019 का No.2419।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 139 ए (2) के तहत 2019 की सिविल याचिका संख्या 17476 के हस्तांतरण की मांग करने वाली याचिका ओडिशा उच्च न्यायालय, कटक से लेकर तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय तक।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कौशिक पोद्दार, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

उमाकांत मिश्रा, अशोक कुमार सिंह, राजीव सिन्हा, कुणाल चटर्जी, सुश्री मैत्रेयी बनर्जी, प्रवर वीर मिश्रा, केदार नाथ त्रिपाठी, सुश्री प्रीतिका द्विवेदी, एस. एन. भट, वी. एन. रघुपति, शिबाशीष मिश्रा, धनंजय जैन, गौतम नारायण, सुश्री स्मिता सिंह, सुश्री दचिता शाही, आदित्य नायर, सुश्री रितिका वोहरा, शांतनु सागर, हिमांशु शेखर, जमनेश कुमार, श्रीमती के. एनाटोली सेमा, अमित कुमार सिंह, अप्रतिम

अनिमेष ठाकुर, सुश्री प्राचीहासीजा, अर्जुन गर्ग, सुश्री श्रुतिका गर्ग, गोपाल झा, श्रेयश भारद्वाज, सुश्री रेणुका साहू, अभिमन्यु तिवारी, नरेश के. शर्मा, अनिरुद्ध पी. मयी, सुश्री शोभा गुप्ता, सुश्री स्नेहा कालिता, सुश्री प्रेरणा कुमारी, सुश्री दृष्टि रेखा महंता, सुश्री सुधा पाल, सुश्री मनसा सिंह, सुश्री भक्ति पसरीजा सेठी, सुश्री प्रियंका एस. माथुर, सुश्री दीपिका कालरा, सुश्री प्रीति सिंह, सुश्री रीना राव, सुश्री रुचि खुराना, सुश्री सकी झकारिया, सुश्री सविता सिंह, सुश्री सोब। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. उच्च न्यायालय संकट की स्थिति में हैं। उच्च न्यायालयों में लगभग 40 प्रतिशत रिक्तियां हैं, जिनमें से कई बड़े उच्च न्यायालय काम कर रहे हैं उनकी स्वीकृत शक्ति के 50 प्रतिशत से कम।

2. हमने संविधान के अनुच्छेद 224 ए के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के पहलू पर चर्चा करते हुए उपरोक्त पर विस्तार से चर्चा की है।

WP (C) No.1236/2019 में भारत का संविधान। उपरोक्त मामले में आज पारित अलग आदेश के माध्यम से, हमने संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी चर्चा की है।

भारत।

3. विद्वान महान्यायवादी ने उच्च न्यायालयों में नियुक्ति का पद हमारे सामने यह तर्क देने के लिए रखा है कि 1080 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले, 416 न्यायाधीशों की रिक्तियों के साथ 664 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। हालाँकि, सरकार के पास प्राप्त और प्रक्रियाधीन अनुशंसाएँ 196 हैं और 220 अनुशंसाएँ प्राप्त की जानी बाकी हैं।

एम/एस। पीएलआर परियोजनाएं पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। & ओआरएस।

4. हम उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा समय पर सिफारिशें करने के महत्व पर ध्यान दे सकते हैं। रिक्तियां ज्ञात हैं

और मानदंड छह महीने पहले तक सिफारिशें करने की अनुमति देते हैं। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि 220 मौजूदा रिक्तियों के लिए सिफारिशें भी बहुत कम नहीं की गई हैं, जो अगले छह महीनों में होने वाली हैं।

5. हम, इस प्रकार, एक बार फिर, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की आवश्यकता और वांछनीयता पर जोर देते हैं, जो प्रयास करेंगे जितनी जल्दी हो सके रिक्तियों की सिफारिश करें, भले ही वे एक बार में न किए गए हों। हम यह जोड़ सकते हैं कि पहले के आदेशों में भी हमने नोट किया है कि

6. हमने पिछली कार्यवाही में उच्च न्यायालय से अनुशंसित नामों का एक चार्ट विद्वान महान्यायवादी को सौंप दिया था अदालतें जो अभी भी छह महीने से अधिक समय से सरकार के पास लंबित थीं, जिनकी संख्या 45 थी। पिछले कुछ हफ्तों में इस दिशा में प्रगति देखी गई है और वे नाम कॉलेजियम तक पहुंच गए हैं। दूसरा उन पुराने प्रस्तावों की सूची थी जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 10 सिफारिशों के बाद भारत सरकार के पास लंबित हैं। ये काफी समय से लंबित हैं। सुनवाई की अंतिम तिथि पर, विद्वान महान्यायवादी ने एक बयान दिया था कि अगले तीन महीनों के भीतर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दूसरी बार दोहराए गए छह नाम भी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

7. विद्वान महान्यायवादी प्रत्येक चरण में रिक्तियों को भरने के लिए समयबद्ध अनुसूची की आवश्यकता के साथ भिन्न नहीं थे, हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रिक्तियों को भरने का कारण है

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा की गई सिफारिशें। हालाँकि, एक बार सिफारिशें किए जाने के बाद, दो चरण होते हैं जिन पर मामला सरकार के पास रहता है-पहला जब मंत्रालय नामों को संसाधित करता है; और दूसरा पद सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम ऐसे नामों की सिफारिश करने का निर्णय लेता है जिन्हें कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

8. जहाँ तक न्यायपालिका का संबंध है, उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों के बाद दूसरा चरण [2021] 4 एस. सी. आर. है।

उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा उन नामों पर निर्णय लेने के लिए सलाहकार न्यायाधीशों से परामर्श करने में लिया गया समय अवधि।

9. हमने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रक्रिया ज्ञापन (संक्षिप्त में 'एमओपी') को देखा है (जो इन पहलुओं पर पहले मौजूद 1999 के एमओपी के समान है) जिसमें उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कुछ समयसीमा बताई गई है। एमओपी में निर्धारित समय-सीमा के संदर्भ में, प्रासंगिक पैरा 21 , 24 & 24.1 मौजूदा एम. ओ. पी. निम्नानुसार हैंः

राज्यों को अपने विचार भेजने में छह सप्ताह से अधिक का समय नहीं लग सकता है।

ए।

(C1.21)

केंद्र सरकार कोई आपत्ति नहीं मान सकती है

बी।

राज्य सरकार, यदि छह सप्ताह के भीतर उनके विचार प्राप्त नहीं होते हैं। (सी. एल. 21)

केंद्र सरकार के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है

सी।

आगे की सिफारिशें।

डी।

चार सप्ताह के भीतर कानून मंत्री को। (सी. एल. 24) कानून मंत्री प्रधानमंत्री के सामने प्रस्ताव रखेंगे

ई.

राष्ट्रपति की सलाह के लिए तीन सप्ताह के भीतर मंत्री।

(सी1। 24. 1)

10. यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि यह न्यायालय निर्धारित करने पर विचार करता है

समयसीमा, यह तीसरे में की गई टिप्पणियों के विपरीत होगा

न्यायाधीश का मामला (1998) 7 एस. सी. सी. (1998 का विशेष संदर्भ 1)। पैरा 31 में, न्यायालय ने दूसरे न्यायाधीश के मामले को संदर्भित किया और निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

" 31. नियुक्तियों की न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में, द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में बहुमत के फैसले में कहा गया हैः (एससीसी पीपी। 707

08 , पैरा 480)

" भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के गठन में न्यायाधीशों की बहुलता, जैसा कि संकेत दिया गया है, मनमानेपन या पूर्वाग्रह की संभावना के खिलाफ एक और अंतर्निहित जांच है। नियुक्तियों के मामले में न्यायिक तत्व प्रमुख होने के कारण, जैसा कि संकेत दिया गया है, आवश्यकता

अन्य कार्यकारी कार्रवाइयों की तरह आगे की न्यायिक समीक्षा के लिए

हटा दें "।

फैसले में आगे कहा गयाः (एससीसी p.708, पैरा 482)

एम/एस। पीएलआर परियोजनाएं पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. महानदी कोलफील्ड्स

लिमिटेड। & ओआरएस।

" नामित संवैधानिक अधिकारियों के साथ परामर्श की कमी या पात्रता की किसी भी शर्त की कमी के आधार को छोड़कर

नियुक्ति का मामला. ये मामले न्यायोचित नहीं हैं

किसी भी अन्य आधार पर।

उपरोक्त के कारण इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ विशेष की न्यायिक समीक्षा से संबंधित हैं नियुक्ति और नियुक्ति प्रक्रिया के ऐसे पहलू जैसे देरी नहीं।

11. उपरोक्त के संदर्भ में और समय पर नियुक्ति की सुविधा के लिए, हमारा विचार है कि यह सलाह दी जाएगी कि उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित समय-सीमा का पालन करें:

खुफिया ब्यूरो (आईबी) को अपनी रिपोर्ट/इनपुट जमा करनी चाहिए।

आई.

केंद्र सरकार को उच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश की तारीख से 4 से 6 सप्ताह के भीतर।

यह वांछनीय होगा कि केंद्र सरकार आगे बढ़े

ii.

विचार प्राप्त होने की तारीख से 8 से 12 सप्ताह के भीतर उच्चतम न्यायालय को फाइल (ओं)/सिफारिशें

राज्य सरकार और आईबी से रिपोर्ट/इनपुट।

इसके बाद सरकार को आगे बढ़ना होगा

iii.

उपरोक्त विचार पर तुरंत नियुक्ति करें और निस्संदेह यदि सरकार को उपयुक्तता या जनहित में कोई आपत्ति है, तो उसी अवधि के भीतर इसे आरक्षण के विशिष्ट कारणों के साथ उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम को वापस भेजा जा सकता है।

यदि उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम उपरोक्त सूचनाओं पर विचार करने के बाद भी सर्वसम्मति से सिफारिशों को दोहराता है। 24. 1), ऐसी नियुक्ति की प्रक्रिया की जानी चाहिए और नियुक्ति 3 से 4 के भीतर की जानी चाहिए। सप्ताह।

12. हम इस बात से अवगत हैं कि उपरोक्त अभ्यास प्रकृति में सहयोगात्मक है और हम इस प्रक्रिया में शीघ्रता की उम्मीद करेंगे

समय पर न्याय के वितरण का बड़ा कारण।

13. उपरोक्त निर्देशों के साथ, हम इस कार्यवाही को बंद करते हैं।

देविका गुजराल

निर्दे

श जारी किए गए।